अध्याय:1

परिचय

प्राचीन ग्रामीण समाज

प्राचीन काल के गाँवों में आदर्श और अनादर्श गाँव का कोई विभाजन देखने को नहीं मिलता है। उस समय सामाजिक संरचना का दो ही विभाजन देखने को मिलता है पहला ग्राम समाज, दूसरा नगर समाज। नगर परम्पराएं गाँवों से जीवन ग्रहण किया करती थी इसके बदले नगर ने गाँव की रक्षा का भार उठाया था।

दक्षिण भारत में कुछ आदर्श गाँव की परंपरा देखन को मिलती है। यहाँ पर दो तरह के गाँव दिखाई देते है पहला, ऐसा गाँव जहाँ ग्रामीण अलग अलग खेती ना करके सामूहिक तौर पर एक साथ खेती करते थे वही दूसरी तरह के गाँव में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले ग्रामीण भी दिखाई देते है। इसी प्रकार उड़ीसा में कुछ प्राचीन काल के गाँव अब तक है जिन्हें 'शासन गाँव' कहते है, ये शासन गाँव ही आदर्श गाँव के रूप में है। इनकी अपनी एक अलग तरह की परम्परा है। गाँव में नालियों की उचित व्यवस्था की गयी है। पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा इनकी अपनी एक अलग न्याय व्यवस्था है।

यदि प्राचीन काल के ग्रामीण व्यवस्था को देखा जाए तो उस समय के गाँव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। आस-पास के गाँवों में पारस्परिकता होती थी। वो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देते थे। यह पारस्परिकता वर्त्तमान समय में कम होती जा रही है।

प्राचीन काल के ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया जाए तो पता चलता है की अर्थव्यवस्था ना होकर आर्थिक संरचना थी जिसमे जीवन्तता थी। आरती संरचना बाजार आधारित ना होकर कृषि आधारित थी और अन्य व्यवसाय कृषि को सहयोग करने वाले थे जैसे-बढ़ई कृषि कार्य के लिए औजार बनाता था, कुम्हार किषानों के लिए बर्तन बनाता था, बुनकर उनके लिए कपड़े बुनता था। इन लोगों को इनके आवश्यकतानुसार अनाज का कुछ हिस्सा दिया जाता था। सहायक व्यवसायों का अस्तित्व बिना कृषि के नहीं था। इस तरह देखा जाए तो व्यवसाय समाज व्यवस्था से जुडी हुयी थी।

प्राचीन काल में गाँव को एक जीवित इकाई माना जाता था। तालाब,कुँए, पेड़-पौधे,वनस्पतियाँ इनका संरचना में भाग होता था इसलिए गाँव से जुड़े प्रत्येक पक्ष चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक सबका सम्बन्ध गाँव के जीवित इकाई से था जिसे 'नाभि-नाल सम्बन्ध' भी कहते है। वर्त्तमान समय में यह सम्बन्ध कमजोर होता जा रहा है क्योंकि अब गाँव को एक जीवित इकाई न मानकर केवल एक इकाई मानकर चल रहे है।

सामाजिक संबंधों का जाल जिसे समाज कहते है प्राचीन काल के गाँवों में मिलता है। प्राचीन गाँवों में सामाजिक व्यवस्था ना होकर सामाजिक संरचना होती थी। सामाजिक संरचना धर्म, पुराण, लोक-विश्वास से नियंत्रित होती थी। इन्ही के आधार पर सामाजिक सम्बन्ध बनते थे। धर्म लोगों से नियंत्रित होता था ना की लोग धर्म से नियंत्रित होते थे। धार्मिक चीजों में लोगों की सुविधानुसार परिवर्तन किया जा सकता था। धर्म साम्प्रदायिकता का आधार नहीं था बल्कि सामुदायिकता का आधार था। वर्त्तमान समय में समाज तो है परन्तु सामाजिक संरचना नहीं है। उस समय समाज को बनाए रखने, उसे चलाने और विकसित करने के तरीके सामाजिक संरचना के भीतर से ही आते थे। स्वास्थ्य व्यवस्था भी गाँव के सामाजिक संरचना का अंग होती थी, वैद्द भी उनका अंग होते थे।

प्राचीन गाँवों में शिक्षा में स्थानीय आवश्यकताएं, संस्थान, चरित्र और ग्रामीण संरचना के आधार पर तय होती थी। चरित्र शिक्षा के केन्द्रीभूत तत्वों में से एक था। चरित्र की शर्ते भी होती थी, पहली-पारंपरिक ज्ञान यानि परंपरा के प्रती प्रतिबद्धता है या नहीं, दूसरी- समाज के प्रति प्रतिबद्धता है या नहीं, तीसरी-स्त्री और पुरुष एक दुसरे को किस दृष्टि से देखते है यानि उनके संबंधों का आधार क्या है। इन शर्तों के आधार पर व्यक्ति चरित्र निर्धारित होता था और चरित्र शिक्षा का मुख्य अंग था। प्राचीन काल में दो तरह के अध्यापक थे, एक मनुष्य, दूसरा प्रकृति। प्राची गाँवों में मनुष्य और प्रकृति के बीच सम्बन्ध होता था अब प्रकृति का स्थान मशीन ले रहे हैं।

गाँव में कला और सौन्दर्य की भी प्रचुरता थी। कला संस्कृति से प्रभावित होती थी चाहे वो चित्र कला हो संगीत हो या नृत्य।

जिस तरह के गाँव प्राचीन काल में थे वो गाँव धीरे-धीरे लुप्त होते चले गए। कृषि धीरे-धीरे कम होकर अर्थव्यवस्था बाजार आधारित होती जा रही है। कृषि में कमी होने के कारण व्यवसाय भी गाँवों में कम होते जा रहे है इस कारण ग्रामीण जनता नगरों की तरफ पलायन कर रही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्राचीन गाँवों को पुनर्जीवित करने और उन्हें खुशहाल बनाने का एक प्रयास है।

गाँव में पंचायतों की परम्परा

'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' में पंचायती राज संस्थाओं की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतों की परिकल्पना अपने देश में कोई नवीन नहीं, अपितु यह प्राचीन काल से ही मानव समाज के ताने-बाने का अभिन्न हिस्सा रही है। पंचायती राज संस्थाएँ भारत के ग्रामीण विकास में जो सहयोग प्रदान कर रही हैं वह किसी भी प्रकार कम नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं का महत्त्व इस तथ्य से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अभी हाल में ही भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप में एकरूपता लाने, उनको सुसंगठित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में संशोधन करके पंचायती राज अधिनियम 1993 को क्रियान्वित किया।

पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन' से हुई है। जिसका अर्थ होता है पांच व्यक्तियों का समूह, अगर शाब्दिक अर्थ से परे सोचें तो पंचायत का मतलब केवल पांच व्यक्तियों का इकठ्ठा होना नहीं है बल्कि यह पांच तत्वों से बना है - संवाद, सहमति, सहयोग, सहभाग और सहकार। जब ये पाचों तत्व किसी समस्या के समाधान, विवाद के निपटारा और किसी चुनौती का सामना करने के लिए आपस में इकठ्ठा हुए तो उसे पंचायत कहा गया।

जिस पंचायत का स्वरूप आज हमारे सामने मौजूद है। वह बहुत प्राचीन काल से हमारी व्यवस्था से जुड़ी हुई चली आ रही है। भारत में पंचायते किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से विद्यमान रही हैं। जातक कथाओ में भी इनका वर्णन मिलता है। वैदिक युग में सभा और समितियों का वर्णन प्राप्त होता है, अथर्व वेद के श्लोक इसकी पुष्टि करते है-

सभा च मा समितिश्चावातां प्रजपतेर्दुहितरौ संविदाने। -अथर्ववेद – 7/12/1

राजा की दृष्टि में सभा और समितियों का दर्जा पुत्री के समान था। राजा उसी की भांति उनका पोषण करे तथा ये दोनों मिलकर राजा की रक्षा करें।

ये सभा और समितियां लोगों की भलाई के लिए कार्य करती थीं –

''ये ग्रामा यदरण्यं या सभा अथिभूम्याम।

ये संग्रामा: समितियस्तेषु चारु वेदम ते।।'' -अथर्ववेद- 7/12/1

अर्थात पृथ्वी के ग्रामों, वनों व सभाओं में हम सुन्दर वेद युक्त वाणी का प्रयोग करें।

वैदिक काल के प्रारंभ से ही गावं एक स्वायत्त इकाई होती थी जो केंद्र के नियंत्रण से दूर होती थी परन्तु ग्राम प्रशासन में अछूतों, भूमिहीनों और स्त्रियों का कोई स्थान नहीं था, इसलिए इससे हर एक व्यक्ति नहीं जुड़ा था। रामायण में भी पंचायतों और ग्रामीण जीवन का उल्लेख है तथा रामायण काल में भी पंचायतें स्वायत्त हुआ करती थीं। यहाँ तक की राज्यसभा में भी उनका हस्तक्षेप हुआ करता था। महाभारत काल में पंचायतों का और स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है।

वैदिक काल में गावं का मुखिया ग्रामीण, जो ग्राम व्यवस्था तक ही सम्बंधित था। रामायण काल तक राज्य का प्रतिनिधि बनने लगा और महाभारत काल तक आते-आते गावों में राज्य का सीधा हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। राज्य गावं पंचायत की इस सहज सामाजिक व्यवस्था का उपयोग अपने हित में करने लगा था।

पंचायती राज व्यवस्था को बताते हुए यूरोपीय विद्वान ई।वी। हाइबल लिखते हैं कि " आर्य प्रजातांत्रिक पध्दति से अपना शासन चलते थे। प्रजातन्त्र कि आधार शिला ग्राम थे प्रदेश कि रक्षा और जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धि सुगमता से हो सके, इसके लिए एक या कई ग्रामों को मिलकर एक संघ बना दिया जाता था। सारा प्रदेश

राजा के अधीन होता था। राजा का पद दो प्रकार से प्राप्त होता था। 1-निर्वाचन से 2- वंशानुक्रम से। परंतु किसी भी सूरत मे राजा को आर्य परंपरा पर बने नियमों के विरुद्ध नहीं जाने दिया जाता था"।

चाणक्य के अर्थशास्त्र में आदर्श गाँव की चर्चा की गयी है। गुप्त काल और मौर्य काल में भी पंचायतें विद्दमान थी। ब्रिटिश काल तक आते-आते जहाँ पंचायतों का ह्रास हुवा वही ब्रिटिश काल के अंत तक पंचायतों का विकास भी प्रारंभ हुआ।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

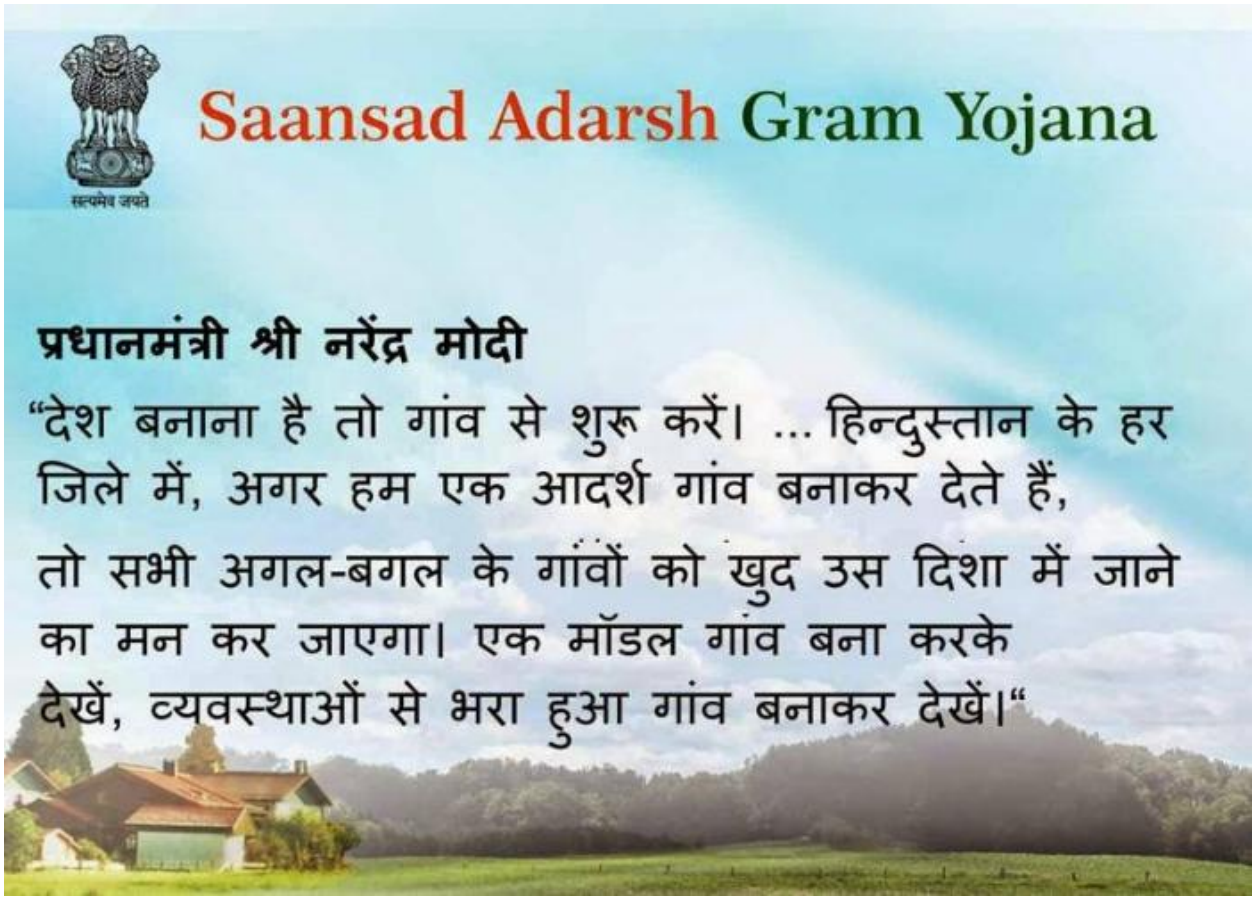

यदि हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो उसकी शुरुआत हमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से करनी होगी। प्रधानमंत्री के अनुसार यदि "प्रत्येक सांसद पांच साल में तीन गावों को विकसित करने का निर्णय लेता है, तो देश के कई गावों को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है।"

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा महात्मा गाँधी के जन्मदिवस पर 'स्वच्छ भारत अभियान', दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर ' मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत के बाद जयप्रकाष नारायण के जन्मदिवस पर 'संसद आदर्श ग्राम योजना' की शुरुआत की गयी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास योजना है जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा ११ oct २०१४ को किआ गया। इसके तहत देश भर में फैले ६ लाख गाँवों में से 2500 गाँवों को हिस्सा बनाने की बात कही गयी। प्रत्येक राजनीतिक दल के सांसद को एक गाँव गोद लेना है तथा उसे आदर्श गाँव के रूप में परिवर्तित करना है ताकि अन्य आस- पास के गाँव उससे प्रेरणा लेकर अपने गाँव का विकास कर सके। २०१९ तक तीन आदर्श गाँव को विकसित करना है तथा २०१६ तक एक गाँव का लक्ष्य प्राप्त कर लेना है।

वर्तमान समय की भी मांग है की गाँवों को स्मार्ट विलेज बनाया जाय। सेवाओं की न केवल घोषणा हो बल्कि उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो। सभी के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो। अमीरी और गरीबी के फर्क को कम किया जा सके। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्न्चार तकनीक का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना महात्मा गाँधी के मूल्यों पर आधारित है। गाँधी जी ने स्वयं कहा है-

" I know that the work (of shaping the ideal village) is as difficult as to make of India an ideal country……।।but if one can produce one ideal village, he will have provided a pattern not only for the whole country but perhaps for the whole world। More than this a seeker may not aspire after।"

इस योजना का उद्देश्य "समग्र विकास"-वैयक्तिक विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, बुनियादी सुविधा एवं सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा एवं सुशासन है।